सरकारी आवासों में रह रहे भूतपूर्व संसद सदस्य

858. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत चुनावों में पराजित चौथी लोक-सभा के संसद् सदस्यों को 31 मार्च, 1971 तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से कुछ संसद सदस्यों ने अभी तक अपने फ्लेटों को खाली नहीं किया है ;

(ग) उन सदस्यों सम्बन्धी ब्योरा क्या है और वे किन पार्टियों से सम्बद्ध हैं ;

(घ) इन व्यक्तियों से किस दर पर किराया वसूल किया जाता है ; और

(ङ) उन्हें अभी भी सरकारी फ्लेटों में रहने देने का क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चतुर्थ लोक-सभा के उन सदस्यों का जिन्होंने उप-गृहों सहित अपने निवास-स्थानों को खाली नहीं किया है, का ब्यौरा उनकी सम्बद्ध पार्टी सहित विवरण 'क' में दिया गया है। जो सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय रख में दिया गया। देखिये संख्या LT-262 71] जिन 44 सदस्यों ने अपने मुख्य निवास स्थान खाली कर दिए हैं किन्तु इससे संलग्न सर्वेंट क्वार्टर तथा मोटर गैराजों जैसे एककों को खाली नहीं किया है, का विवरण 'ख' में दिया है। जो सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-262/71]

(घ) 31 मार्च, 1971 के बाद अधिक देर रहने के सभी मामलों में, किराये की मार्केट दरों पर क्षतिपूर्ति देय है। श्री ए. एन. मुल्ला (यू. आई. पी, जी.) तथा कुशक बकुला (कांग्रेस-एन.) को 31 मई, 1971 तथा 6 जून, 1971 तक, क्रमशः किराये की मार्किट दर पर अदायगी पर तथा मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत, परन्तु बिना 25 प्रतिशत छूट के, किराये पर निवास-स्थानों को रखने की अनुमति दी गई है।

(ङ) केरल इन्क्वारी कमीशन के सचिव के निवेदन पर, श्री ए. एन. मुल्ला को वास को 31 मई, 1971 तक मार्किट दर पर किराये पर रखने की अनुमति दी गई है। श्री मुल्ला उक्त कमीशन के अध्यक्ष हैं।

श्री कुशल बकुला (कांग्रेस-एन.) के मामले में, लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं, देर से चुनाव होने के कारण, उन्हें उनके निवास स्थान को, मूल नियम 45-ए के अधीन परन्तु बिना 25 प्रतिशत की छूट के "लाइसेन्स फीस" की अदायगी पर 6 जून, 1971 तक रखने की अनुमति दी गई है।

31 मार्च, 1971 के बाद अन्य किसी भी सदस्य को वास को रखने की आज्ञा नहीं दी गई है तथा उनसे वास को तुरन्त खाली करने को कहा गया है।